राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 02.05.2015

1. **समस्त उपखण्ड अधिकारी**
2. **समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति**
3. **समस्त तहसीलदार**

विषयः- ई-मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन हेतु।
सन्दर्भः- परिपत्र-8 दिनांक 23.12.14, समसंख्यक पत्र दिनांक 27.12.14, 23.02.15 एंव 08.04.15

महोदय,

जैसा कि सन्दर्भित परिपत्र व पत्रों द्वारा ई-मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकन के सत्यापन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि परिवार के सभी सदस्यों के नामांकन उपरान्त डाटा का सत्यापन संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक/अन्य कार्मिक के सहयोग से 10 दिवस की अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा, परन्तु कतिपय ब्लॉकों में सत्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है।

ई-मित्र कियोस्कों द्वारा नामांकित परिवारों के दस्तावेज ब्लॉक प्रभारी, गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पहुंचाये जा रहे है। अतः इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक/अन्य कार्मिक से नामांकन का प्रथम सत्यापन करवाकर द्वितीय सत्यापन कार्य सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में प्रथम व द्वितीय सत्यापन कार्य नहीं किया जाता है तो सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण मानते हुए भामाशाह कार्ड मुद्रण हेतु प्रेषित कर दिये जाएंगे।

चूंकि भामाशाह कार्ड के आधार पर लाभार्थी को सीधे लाभ हस्तांतरित किये जाएगे। यदि सत्यापन प्रकिया के अभाव में भामाशाह कार्ड में त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित प्रथम व द्वितीय सत्यापक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी तथा भामाशाह कार्ड में त्रुटि के कारण कोई राशि गलत हस्तांतरित हो जाती है तो ऐसी राशि संबंधित सत्यापक से वसूल की जाएगी।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 02.05.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः

1. समस्त जिला कलक्टर्स......................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग..................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................

(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग